न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
79 / 2019	26.03.2019	16-5-2023

उनवान

1. रामकुवार पुत्र स्व.रामजीलाल पुत्र हीरानन्द –फौत।
   1/1– अजीत पुत्र स्व. रामकुवार
   1/2– रामनिवास पुत्र स्व. रामकुवार
   1/2/1– बीरमती बेवा रामनिवास
   1/2/2–अनिल कुमार पुत्र स्व. रामनिवास
   1/2/3–अमित कुमार पुत्र स्व. रामनिवास
   1/2/4– मीरा बाई पुत्री स्व. रामनिवास
   1/3– वीरसिहं पुत्र स्व. रामकुवार
   1/4– मुकेश पुत्री स्व.रामनिवास
   1/5– जनता देवी पुत्री स्व. रामकुवार–फौत
   1/5/1–प्रदीप पपुत्र स्व. जनता देवी
   1/5/2– सुनीता देवी पुत्री जनता देवी
   1/5/3– ललीता पुत्री जनता देवी
   1/6– शर्मिला देवी पुत्री स्व. रामकुवार
2. श्रीचन्द पुत्र स्व. रामजीलाल पुत्र हीरानन्द– मत्तक
   2/1–प्रेम देवी पत्नी स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
   2/2–कविता देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी ढाकिया तह0 धारुहेडा जिला रेवाडी हरि0
   2/3– बाला देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी ढाकिया तह0 धारुहेडा जिला रेवाडी हरि0
   2/4–संतोष देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी सोनू जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0
   2/5–खामोश पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी जयपाल जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0
   2/6–धर्मेन्द्र पुत्र स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
   2/7–विजय पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
   2/8–सुनिता देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी परविन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0–फौत
   2/8/1–तमन्ना पुत्री स्व. सुनिता
   2/8/2– खुशी पुत्री स्व. सुनिता वादी सं0 2/8/1 व 2/8/2 नाबालिग जरिये सरपरसत पिता परविन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0
3. साबो देवी पत्नी थावर पुत्र रामजीलाल पपुत्र हीरानन्द निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
4. अनीता पुत्री स्व. थावर पुत्र रामजीलाल पुत्र हीरानन्द पत्नी मुकेश निवरसी ग्राम आलामपुर तह0 रेवाडी जिला रेवाडी हरि0
5. नरेन्द्र कुमार स्व. थावर पुत्र रामजीलाल पुत्र हीरानन्द
6. बिजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. थावर पुत्र रामजीलाल पुत्र हीरानन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना

:–वादीगण।

बनाम

1. गोपी पुत्र फूला जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
2. राज0 सरकार जरिये जिला कल्क्टर महोदय, अलवर

:– प्रतिवादी।

अधिकारी
(अलवर)

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी

अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः— 1 श्री राधेश्याम यादव एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी सं0 1 की ओर से राजीनामा।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 135/1.54, 136/0.02, 139/0.15, वाके ग्राम बीघानाजाट बंदोबस्त संवत 2042 से पूर्व ख0 न0 75/7—00 बिघा था तथा भू—प्रबंध संवत 2020 से पूर्व ख0 न0 59/7—00 विघा था जिससे हाल न0 कायम हुए है जमाबंदी संवत 2018 के खाता सं0 16 में ख0 न0 59/7—00 विघा में चन्दू, फूला पुत्रान महोरा निज हिस्सा काबिज 2/3 व भूरिया भ्राता मफरुरी गैर काबिज हिस्सा 1/3 दर 1/4 रामजीलाल पुत्र हीरानन्द 1/4 मु0 जहरो दुख्तर मु0 बरजी 1/2 जाति जाट साकिन ग्राम बीघानाजाट खातेदार दर्ज रिकार्ड थे ।

2. बिस्वेदारी उन्मूलन के समय से व काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के समय भी भूरिया नाम का कोई व्यक्ति मौका व कब्जा में नहीं होने से उसकी काश्त तर्क बहक चन्दू, फूलू के हक में की जा चुकी थी इस कारण फूलू, चन्दू पिसरान महोरा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार हुआ, जिाका वारिस प्रतिवादी सं0 1 गोपी पुत्र फूला विरासत में आज दिन भी उनके स्थान पर काबिज काश्त चला आ रहा है ।तथा 1/4 भाग हमवादीगण के पूर्वज श्री रामजीलाल पुत्र हीरानन्द की विरासत में हमवादीगण उनके साथ से आज तक काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है । तथा इस जमाबंदी में दर्ज हिस्सा जहरो पुत्री बरसी का 1/2 भाग संपूर्ण जरिए बयनामा 04.10.1961 के अन्य आराजीयात के साथ हम वादीगण के पूर्वज राजीलाल व प्रतिवादी के पूर्वज फूलचन्द ने बयहिस्सा बराबर मु0 जहरो पुत्री बरसी बेवा रामदयाल से खरीद कर लिया था वक्त ख्रीद से सालिम आ0 ख0न0 59/7—00 बिघा के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार काबिज हमवादीगण के पूर्वज रामजीलाल पुत्र हीरानन्द तथा 1/2 भाग के फूला, चन्दू पिता महरो के निस्फ हिस्से पर गोपी पुत्र फूला काबिज काश्त है। उक्त बयनामा के वक्त बंदोबस्त संवत 2020 में ही हुआ था जिसकी प्रति बंदांबस्त पिभाग को दे दी थी लेकिन उसका अमल इस न0 का न किया जाकर शेष नम्बरान का अमल बयनामा के अनुसार कर दिया गया इस न0 का अमल पूर्ववत ही होता चला आ रहा है ।प्रतिवादी सं0 1 के पूर्वज ने अपनी खातेदारी तो बंदोबस्त विभाग से मिलकर 1/2 भाग पर खातेदारी दर्ज करा ली तथा हम प्रतिवादीगण के पूर्वज राजीलाल के 1/4 भाग के स्थान पर झाबर पुत्र चन्दू का नाम गलत रुप से दर्ज कर दिया तथा जहरो पुत्री बरजी का 1/2 भाग भी पूर्ववत दर्ज कर दिया गया इसलिए बयनामा के अनुसार हमवादीगण जहरो पुत्री बरजी के 1/2 भाग को कलमजन करा कर तथा झाबर पुत्र चन्दू का नाम कलमसन करा कर हमवादीगण अपने आप को काबिज खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। भूरिया , नेतराम, श्योचन्द पिता चन्दू नाम का कोई व्यक्ति गॉव में नहीं है जो तीनो ही लावल्द बिला औरत फौत हो चुके है इस कारण उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

3. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं:— (क) डिक्री इस्तकरार हक बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर अता फरमाई जावें कि हाल ख.नं. 135/1.54, 136/0.02, 139/0.15 वाके ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना में दोनो बंदोबस्त द्वारा की गई प्रविष्ठी वादीगण के हक हकूको के विरुद्व बातिल व बेअसर तथा प्रभाव शून्य है, घोषित कर हाल राजस्व रिकार्ड की प्रविष्ठी कलमजन कर सालिम आराजी में से निस्फ हिस्सा के वादीगण खातेदार काश्तकार काबिज है, घोषित किया जावे जिसमें वादी सं0 1 व 2 को 1/3, 1/3 तथा वादी सं0 3, 4, 5, 6 को सम्भाग में 1/3 भाग दर हिस्सा निस्फ भाग के खातेदार काश्तकार है

धिकारी
अलवर)

तथा शेष निरफ हिस्सा का प्रतिवादी सं0 1 खातेदार काश्तकार काबिज है, घोषित किया जावें। तथा हाल राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार अमलदरामद कराया जावें।
(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(ग) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर दिनांक 08.02.2022 को उपस्थिति होकर लिखित राजीनामा पेश किया । जिस राजीनामा में प्रति0सं0 1 ने स्वीकार किया है की आराजी विवादित का 1/2 भाग वादीगण के बुजुर्ग द्वारा खरीद किया गया था जिस 1/2 भाग पर वादीगण काबिज काश्त है तथा शेष 1/2 भाग पर प्रति0 काबिज काश्त है हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूरिया, नेतराम पिता यादू सम्भाग 1/4, जहरो दुख्तर बरजी हिससा 1/4 को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें । दावा बरुवे राजीनामा डिकी किया जावें ।

5. वादीगण की ओर से साक्ष्य मे वीरसिंह पुत्र रामकुवार का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01, गोपी पुत्र फूला प्रतिवादी का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02 पेश किए है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2071—74 प्रदर्श 01, मिसल बंदोबसत संवत 2042 प्रदर्श 02, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रर्दश 03, मिसल बंदोबसत संवत 2020 प्रदर्श 04, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श 05, नकल जमाबन्दी संवत 2018 प्रर्दश 06,नकल बयनामा प्रदर्श 7, नकल इंतकाल सं0 106 प्रदर्श 8,नकल नोटिस धारा 80 सी0पी0सी प्रदर्श 09,रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श 10 पेश किए है।

6. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042—61 प्रर्दश 3 व नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श 5 के अनुसार विवादित हाल ख.नम्बरान निम्न प्रकार कायम किए है:

संवत 2042—61		संवत 2020	
हाल	साबिक	हाल	साबिक
135/1.54	75/7—00	75/7—00 बीघा	59/7—00 बीघा
136/0.02	75 मिन/——		
139/0.15	75 मिन/——		

नकल जमाबंदी संवत 2018 प्रर्दश 6 के अनुसार साबिक ख.न. 59 /07—00 बीघा का चन्दू, फूला पुत्रान महोरा निज हिस्सा काबिज 2/3 वो भूरिया भ्राता मफरुरी गैर काबिज हिस्सा 1/3 दर 1/4 रामजीलाल पुत्र हीरानन्द 1/4 मु0 जहरो पुत्री मु0 बरजी 1/2 जाट साकिन देह मालिक खातेदार के नाम का अंकन हो रहा है। नकल बयनामा दिनांक 04.10.1961 प्रदर्श 7 के अवलोकन से साबित है की मु0 जहरो पुत्री मु0 बरजी ने साबिक ख न0 59 में अपने हिस्से की आराजी का बेचान अन्य आराजीयात के साथ रामजीलाल पुत्र हीरानन्द, फूला पुत्र महोरा को बय हिस्सा बराबर किया था । उक्त बयनामा भूप्रबंध संवत 2020 के दौरान किया गया था । वादीगण का कथन है की अनय आराजीयात का अमल बयनामा के अनुसार क्रेतागणों के नाम अंकन कर दिया गया परन्तु विवादित ख0 न0 59 का अंकन बयनामा के अनुसार नहीं किया गया । भूप्रबंध विभाग संवत 2020 में अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा साबिक ख0न0 59/7—00 का हाल ख0न0 75/7—00 कायम करते हुए चन्दू व फूलू पिता मोहरा 1/2, झावर पुत्र मादू मु0 जैरो दुख्तर मु0 बरजी 1/2 कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकी जैरो पुत्री मु0 बरजी ने अपना हिस्सा वादीगण के पिता रामजीलाल व प्रतिवादी गोपी के पिता को

बेचानकर दिया था परन्तु संवत 2020 में भूप्रबंध विभाग द्वारा किया गया गलत अंकन ताहाल रिकार्ड में गलत रुप से होता चला आ रहा हे जिस तथ्य को प्रतिबादी गोपी ने भी राजीनामा में स्वीकार किया है । प्रतिवादी गोपी ने राजीनामा में अंकित किया है की विवादित आराजी के 1/2 भाग का मै खातेदार हूँ तथा 1/2 भाग के खातेदार वादीगण है हाल जमाबंदी में जो अमल भूरिया नेतराम श्योचन्द पिता यादू स0 भा0 हि0 1/4 जहरो दुख्तर बरजी हि0 1/4 जरट सा0 देह खातेदार हो रहा है वह गलत है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयनामा से सह तथ्य साबित है की आराजी विवादित का 1/2 भाग वादीगण के बुजुर्ग रामजीलाल पुत्र हीरानन्द द्वारा खरीद की गई आराजी है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर वाद साबित होता है । वादीगण का वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है किः—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात बरुवे राजीनामा डिक्री किया जाकर हाल ख.नं. 135/1.54, 136/0.02, 139/0.15 वाके ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना के 1/2 भाग का वादीगण को खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है । तथा हाल जमाबंदी में भूरिया नेतराम श्योचन्द पिता यादू सं0 भा0 हि0 1/4 जहरो दुख्तर बरजी हि0 1/4 जाट सा0 देह खातेदार के नाम का अमल हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 व 2 को 1/3, 1/3 तथा वादी सं0 3, 4, 5, 6 को सम्भाग में 1/3 भाग दर हिस्सा निस्फ भाग के खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेस दिये जाते हे तथा शेष निस्फ हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 की खातेदार में यथावत रहेगा। इसी अनुसार बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.5.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

16/5/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 79/2019

रजू दिनांक 26.03.2019

निर्णय दिनांक

उनवान

1. रामकुवार पुत्र स्व.रामजीलाल पुत्र हीरानन्द –फौत।
1/1– अजीत पुत्र स्व. रामकुवार
1/2– रामनिवास पुत्र स्व. रामकुवार
1/2/1– बीरमती बेवा रामनिवास
1/2/2–अनिल कुमार पुत्र स्व. रामनिवास
1/2/3–अमित कुमार पुत्र स्व. रामनिवास
1/2/4– मीरा बाई पुत्री स्व. रामनिवास
1/3– वीरसिहं पुत्र स्व. रामकुवार
1/4– मुकेश पुत्री स्व.रामनिवास
1/5– जनता देवी पुत्री स्व. रामकुवार–फौत
1/5/1–प्रदीप पपुत्र स्व. जनता देवी
1/5/2– सुनीता देवी पुत्री जनता देवी
1/5/3– ललीता पुत्री जनता देवी
1/6– शर्मिला देवी पुत्री स्व. रामकुवार
2. श्रीचन्द पुत्र स्व. रामजीलाल पुत्र हीरानन्द– मत्तक
2/1–प्रेम देवी पत्नी स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
2/2–कविता देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी ढाकिया तह0 धारुहेडा जिला रेवाडी हरि0
2/3– बाला देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी ढाकिया तह0 धारुहेडा जिला रेवाडी हरि0
2/4–संतोष देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी सोनू जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0
2/5–खामोश पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी जयपाल जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0
2/6–धर्मेन्द्र पुत्र स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
2/7–विजय पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
2/8–सुनिता देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना, पत्नी परविन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0–फौत
2/8/1–तमन्ना पुत्री स्व. सुनिता
2/8/2– खुशी पुत्री स्व. सुनिता वादी सं0 2/8/1 व 2/8/2 नाबालिग जरिये सरपरसत पिता परविन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम जोरासी तह0 तावडू जिला नूह हरि0
3. सावो देवी पत्नी थावर पुत्र रामजीलाल पपुत्र हीरानन्द निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
4. अनीता पुत्री स्व. थावर पुत्र रामजीलाल पुत्र हीरानन्द पत्नी मुकेश निवरसी ग्राम आलामपुर तह0 रेवाडी जिला रेवाडी हरि0
5. नरेन्द्र कुमार स्व. थावर पुत्र रामजीलाल पुत्र हीरानन्द
6. विजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. थावर पुत्र रामजीलाल पुत्र हीरानन्द जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना

:–वादीगण।

बनाम

1. गोपी पुत्र फूला जाति जाट निवासी ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना
2. राज0 सरकार जरिये जिला कल्क्टर महोदय, अलवर

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरुस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

धिकारी
अलवर)

उपस्थितीः– 1 श्री राधेश्याम यादव एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी सं0 1 की ओर से राजीनामा।

दिनांकः– 16.5.2023

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात बरुवे राजीनामा डिक्री किया जाकर हाल ख.नं. 135/1.54, 136/0.02, 139/0.15 वाके ग्राम बीघानाजाट तह0 नीमराना कें 1/2 भाग का वादीगण को खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है । तथा हाल जमाबंदी में भूरिया नेतराम श्योचन्द पिता यादू सं0 भा0 हि0 1/4 जहरो दुख्तर बरजी हि0 1/4 जाट सा0 देह खातेदार के नाम का अमल हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 व 2 को 1/3, 1/3 तथा वादी सं0 3, 4, 5, 6 को सम्भाग में 1/3 भाग दर हिस्सा निस्फ भाग के खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेस दिये जाते हे तथा शेष निस्फ हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 की खातेदार में यथावत रहेगा। इसी अनुसार बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगा।

16/5/2023

मुकुट सिंह (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)